भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1950
दिनांक 30 जुलाई, 2026

राजस्थान में सीएनजी स्टेशनों का विस्तार

1950. **श्रीमती मंजू शर्माः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देशभर में, विशेषकर राजस्थान में, सीएनजी वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार का सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सीएनजी स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं तथा किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान में सीएनजी स्टेशन खोलने वाली कंपनियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ग) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशनों की स्थापना नगर गैस वितरण(सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा किया जाता है। 12/12ए सीजीडी बोली दौर के पूरा होने के बाद, पीएनजीआरबी ने देश भर में पूरे मुख्य भूमि क्षेत्र को कवर करते हुए 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज़) में सीजीडी नेटवर्क के विकास के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत किया है। सीजीडी अवसंरचना को लागू करने का काम प्राधिकृत कम्पनियों द्वारा पीएनजीआरबी से प्राप्त मंज़ूरी और स्वीकृत परियोजना योजना के अनुसार किया जाता है। दिनांक 31.05.2026 तक, प्राधिकृत कम्पनियों ने देश भर में 8980 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं।

पीएनजीआरबी ने राजस्थान राज्य में 17 जीएज़ को प्राधिकृत किया है, जिनमें (मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले 2 जीएज़; पंजाब और राजस्थान में 1 जीए और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ 1 जीए) शामिल हैं। दिनांक 31.05.2026 तक, प्राधिकृत कम्पनियों ने राजस्थान राज्य में 499 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं। दिनांक 31.05.2026 तक सीएनजी स्टेशनों की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

सीएनजी स्टेशन जीए में सीजीडी कम्पनियों द्वारा एमडब्ल्यूपी लक्ष्य और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं। नए सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए पीएनजीआरबी द्वारा सीजीडी कम्पनियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

अनुलग्नक

'राजस्थान में सीएनजी स्टेशनों का विस्तार' के संबंध में श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा दिनांक 30.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1950 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 31.05.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार सीएनजी स्टेशनों की संख्या

राज्यकेंद्र शासित प्रदेश/	सीएनजी स्टेशन
आंध्र प्रदेश	242
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	46
बिहार	251
चंडीगढ़	10
छत्तीसगढ	73
दादरा और नगर हवेली	6
दमन और दीव	6
दिल्ली	458
गोवा	15
गुजरात	1,108
हरियाणा	608
हिमाचल प्रदेश	26
झारखंड	159
कर्नाटक	520
केरल	254
मध्य प्रदेश	428
महाराष्ट्र	1,324
मणिपुर	0
मेघालय	4
मिजोरम	0
नागालैंड	0
ओडिशा	159
पुडुचेरी	15
पंजाब	307
राजस्थान	499
सिक्किम	0
तमिलनाडु	506
तेलंगाना	246
त्रिपुरा	30
जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश	3
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख	0
उत्तर प्रदेश	1,375
उत्तराखंड	57
पश्चिम बंगाल	245
कुल योग	**8,980**

(स्रोत: पीएनजीआरबी)
